बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :- 6ए0 / प्राक्क1-1037 / 2018- 1866 पटना - 15 ,दिनांक :- 14/08/20

सेवा में,

महालेखाकार,

बिहार, पटना।

विषय – राज्य योजना अन्तर्गत मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के 10 अदद ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं में ''हर घर नल का जल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)'' के तहत विद्यमान संरचना में सुधार, पाईप लाईन का विस्तार कर हर घर नल से आच्छादित करने हेतु योजना की स्वीकृति।

आदेश – राज्य योजना अन्तर्गत मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के 10 अदद ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं में ''हर घर नल का जल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)'' के तहत विद्यमान संरचना में सुधार, पाईप लाईन का विस्तार कर हर घर नल से आच्छादित करने हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

2. राज्य योजना अन्तर्गत मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर में 10 अदद ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के अन्तर्गत विद्यमान संरचना में सुधार, पाईप लाईन का विस्तार एवं इससे आच्छादित वार्ड में गृह जल संयोजन का कार्य कर संतृप्त किया जाना है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु योजना, राशि एवं वार्ड निम्नवत् हैं :-

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	पंचायत का नाम	ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना का नाम	वार्ड संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रूपये में)	
						अंक में	अक्षर में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	जरण पूर्वी	गायघाट	8, 9, 10 एवं 11	51.406	इक्कावन लाख चालीस हजार छः सौ रू0 मात्र।
2			कटरा	कटरा	2, 4, 7, 9 एवं 10	64.726	चौसठ लाख बहत्तर हजार छः सौ रू0 मात्र।
3			मानीकपुर	मीनापुर	3, 7 एवं 8	67.215	सरसठ लाख इक्कीस हजार पाँच सौ रू0 मात्र
4			तुर्की खरारू पूर्वी	तुर्की खरारू पूर्वी	7, 8 एवं 9	45.327	पैंतालीस लाख बत्तीस हजार सात सौ रू0 मात्र
5			बरूआरी	बरूआरी	4, 5, 6, 7 एवं 8	67.999	सरसठ लाख निनानबे हजार नौ सौ रू0 मात्र।
6			मुस्तफापुर	मुस्तफापुर	6, 9, 11, 12 एवं 13	48.197	अरतालीस लाख उन्नीस हजार सात सौ रू0 मात्र
7			बरूराज पूर्वी	बरूराज पूर्वी	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10	55.572	पचपन लाख संतावन हजार दो सौ रू0 मात्र।
8			देवरीया पूर्वी	देवरीया पूर्वी	2, 3, 4, 5, 7 एवं 10	51.788	ईकावन लाख अठहत्तर हजार आठ सौ रू0 मात्र।
9			आनन्दपुर खरौनी	आनन्दपुर खरौनी	8, 9, 10 एवं 12	55.911	पच्चपन लाख इक्कानवे हजार एक सौ रू0 मात्र।
10			करजाडीह	करजाडीह	2, 3, 4, 8, 9, 10 एवं 13	60.407	साठ लाख चालीस हजार सात सौ रू0 मात्र।
				कुल		**568.548**	पाँच करोड़ अड़सठ लाख चौव हजार आठ सौ रू0 मात्र।

3. इस योजना के मुख्य अवयव विद्यमान संरचना में सुधार, पाईप लाईन का विस्तार, पाँच वर्ष के लिए संचालन एवं रख-रखाव (विद्युत ऊर्जा पर व्यय सहित) तथा कॉलम-6 में अंकित वार्ड में गृह जल संयोजन का कार्य किया जाना है।

10512

4. इस योजना पर होने वाला योजना व्यय बजट का (I) मुख्य शीर्ष – 2215–जल पूर्ति तथा सफाई – उपमुख्य शीर्ष – 01–जल पूर्ति – लघु शीर्ष – 102–ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम – मांग संख्या – 36 – उप शीर्ष – 0106–मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभवित क्षेत्र) – विपत्र कोड – 36–2215011020106 – विषय शीर्ष – 0106.31.05 – सहायक अनुदान–परिसंपतियों के निर्माण कार्य तथा (II) मुख्य शीर्ष – 2215–जल पूर्ति तथा सफाई – उपमुख्य शीर्ष – 01–जल पूर्ति – लघु शीर्ष – 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – मांग संख्या – 3 – उप शीर्ष – 0104–मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभवित क्षेत्र) – विपत्र कोड – 36–2215017890104 – विषय शीर्ष – 0104.31.05 – सहायक अनुदान–परिसंपतियों के निर्माण कार्य मतदेय शीर्षों में भारितव्य होगा।

5. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर होंगे योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। राशि की निकासी मुजफ्फरपुर कोषागार से की जायेगी/बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत संधारित खाते के माध्यम से राशि की विमुक्ति कर योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाएगा।

6. संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता योजना का कार्यान्वयन अनुमोदित प्राक्कलन के विभिन्न मदों की विशिष्टियों के अनुरूप एवं निर्धारित समय–सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करायेंगे।

7. इस योजना के अनुश्रवण की जवाबदेही संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता की होगी जो योजना के नियमित कार्यान्वयन के क्रम में कम–से–कम क्रमशः दो बार एवं एक बार अनुश्रवण जरूर करेंगे एवं अपना निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित कार्यपालक अभियंता को जरूर भेजेंगे तथा निराकरण भी सुनिश्चित करायेंगे।

8. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नही किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

9. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

10. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।

11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि (2), दिनांक–03.01.2018 एवं संकल्प संख्या – एम4–53/2007/3758 /वि0 दिनांक – 31–05–17 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

13. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा दी गयी है।

14. वर्ष 2018–19 के वार्षिक योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्रावधान है।

15. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

Sd/- 13.8.

(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक – 6ए0/प्राक्क1–1037/2018 – 1866 पटना – 15, दिनांक :– 14/08/2018

प्रतिलिपि –वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार / कल्याण विभाग / जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सचिव के आप्त सचिव / अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / मुख्य अभियन्ता (रूपांकण) / मुख्य अभियन्ता (यॉंत्रिक) / प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, बिहार/ विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (मो0) / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) के प्रावैधिक सचिव / कार्यपालक अभियन्ता (मो0) / उप निदेशक (मू0) / कार्यपालक अभियन्ता (अने0)/ सहायक अभियन्ता (मूल्यांकण) / प्रशाखा–6ए/कार्यवाहक सहायक/ आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर/ अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुजफ्फरपुर/ कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

Sd/- 13.8.

(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव